न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(52)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2018/0310 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-10-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 471/अपील/2011-12.

---

1. भूरा पिता स्व. वरसिंह खडीया
2. कलसिंह पिता स्व. वरसिंह खडीया
3. वागा पिता स्व. वरसिंह खडीया
4. चैनसिंह पिता सड़ीया खड़ीया
5. कालू पिता सड़ीया खड़ीया

निवासीगण जुलवानिया बड़ा
तहसील थांदला जिला झाबुआ

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. नेवजी पिता टिटिया खड़ीया (मृत) तर्फे वारिसान
   (ए) कालू पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (बी) सिसका पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (सी) मुन्ना पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (डी) मुन्ना पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (इ) बिल्लू पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (एफ) सिरू पिता स्व. नेवजी खड़ीया
   (जी) सोकली विधवा स्व. नेवजी खड़ीया
2. कमलो पिता टिटिया खड़ीया

निवासीगण जुलवानिया बड़ा
तहसील थांदला जिला झाबुआ

.....अनावेदकगण

(मूल अनावेदक)

श्री दीपक वर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक पक्ष द्वारा तहसीलदार, थांदला के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जुलवानिया बड़ा तहसील थांदला स्थित भूमि खाता क्रमांक 62 सर्वे नम्बर 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 एवं 221 रकबा क्रमश: 0.31, 0.17, 0.19, 0.22, 0.22, 0.18, 0.06, 0.61, 0.23, 0.43 पर उनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी सतत कब्जा होकर वे खेती करते चले आ रहे हैं, किन्तु शासन रिकार्ड में प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । अत: प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा इन्द्राज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ-6-अ/2004-05 पंजीबद्ध कर दिनांक 7-8-2006 को आदेश पारित कर आवेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, थांदला जिला झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-4-2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-10-17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम इन्द्राज करने बावत् आवेदन पत्र दिया था अत: अधीनस्थ न्यायालय को पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट बुलवाकर तथा पंचनामे अनुसार कब्जे बावत् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जबकि विवादित भूमि पर आवेदकगण का ही कब्जा है तथा पटवारी रिपोर्ट एवं पंचनामा के अनुसार भी उनका ही कब्जा पाया गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह ठहराने में भूल की गई है कि संहिता की धारा 115 के तहत अभिलेखों में कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जा सकती है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28-3-2006 का गलत अर्थ निकालते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है । आवेदकगण ने आवेदन पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया था कि मकान का इन्द्राज सर्वे नम्बर 211, 212, 213 की भूमि पर गलत तौर पर किया गया है, जबकि मकान कई वर्षों से सर्वे नम्बर 215, 216, 217 की भूमि पर स्थित है, इसके संबंध में आवेदकगण द्वारा खसरे की नकलें भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) आवेदकगण द्वारा अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्णत: सिद्ध किया गया है कि दाविया संपत्ति पर उनका ही कब्जा है तथा उनकी इस बात की तस्दीक दाविया संपत्ति के जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा से भी होती है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा प्रविष्टियों में कोई संशोधन नहीं चाहा गया था, बल्कि खसरे के कॉलम नम्बर 12 में कब्जेदार के रूप में अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं, जो नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष परवर्स होकर विधि विधान तथा तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती के पात्र हैं ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा उठाये गये आधारों पर कोई निष्कर्ष नहीं देकर आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निर्णय की तारीफ में नहीं आता है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का न तो कोई हक व स्वत्व है और न ही मौके पर उनका कब्जा है । आवेदकगण अनावेदक पक्ष के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधिवत आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस

निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक पक्ष एवं अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण खसरे में कब्जा इन्द्राज का है । अपर आयुक्त द्वारा न्याय उद्धरण 2007 आर.एन. 199 का स्पष्ट उल्लेख किया है कि कब्जा प्रविष्टि की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है । इसी कारण कब्जा इन्द्राज की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से आवेदक पक्ष का आवेदन पत्र तहसीलदार ने निरस्त किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निरस्त की गई हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर